ज़ीरो FIR: शिकायत दर्ज होने से न्याय तक की दूरी

समाचार-संदर्भ: 2026-11-02 | **प्रकाशन:** 7 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II: न्याय तक पहुँच, पुलिस और कमजोर वर्गों की सुरक्षा



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

2 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक विधिक टिप्पणी ने यह प्रश्न उठाया कि **ज़ीरो FIR** की सुविधा मिलने के बाद भी यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय-प्रक्रिया कठिन क्यों बनी रहती है। 6 नवंबर की समसामयिकी चर्चा में यह विषय फिर शामिल हुआ, लेकिन इसे उस दिन लागू हुआ नया कानून नहीं समझना चाहिए। मूल मुद्दा शिकायत दर्ज करने की सुविधा से आगे जाँच, सहायता और बार-बार यात्रा की वास्तविक बाधाएँ हैं।

ज़ीरो FIR क्या है

FIR संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस के औपचारिक रिकॉर्ड में दर्ज करने का शुरुआती चरण है। **संज्ञेय अपराध** में पुलिस को कानून के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तारी और जाँच की शक्ति हो सकती है। सूचना दर्ज होने का अर्थ आरोप सिद्ध हो जाना नहीं है।

ज़ीरो FIR की व्यवस्था में अपराध किसी अन्य थाना-क्षेत्र में हुआ हो, तब भी नजदीकी पुलिस थाने में उसकी सूचना दर्ज की जा सकती है। बाद में मामला उपयुक्त अधिकार-क्षेत्र वाले थाने को भेजा जाता है। इस सुविधा का उद्देश्य पीड़ित को केवल सीमा-क्षेत्र के कारण थाने से लौटाए जाने से बचाना है।

BNSS की धारा 173 क्या कहती है

PCSMANTRA.COM

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 संज्ञेय अपराध की सूचना के लिए अपराध-स्थल के क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से पुलिस अधिकारी को जानकारी देने का प्रावधान करती है। जानकारी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार से दी जा सकती है। मौखिक सूचना लिखी जाती है और सूचना देने वाला हस्ताक्षर करता है।

इलेक्ट्रॉनिक संचार से दी गई सूचना को रिकॉर्ड पर लेने के लिए सूचना देने वाले के **तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर** की शर्त है। इसलिए केवल संदेश भेज देने और सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी हो जाने को एक नहीं मानना चाहिए। गृह मंत्रालय के 11 अगस्त 2026 के संसदीय उत्तर में यह स्थिति स्पष्ट की गई है।

ज़ीरो FIR और e-FIR अलग बातें हैं: पहली बात क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र की बाधा हटाने से जुड़ी है; दूसरी सूचना देने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। दोनों एक मामले में साथ हो सकते हैं, लेकिन पर्याय नहीं हैं।

शिकायत दर्ज होने के बाद कौन-सी बाधाएँ बचती हैं

- **दूरी और लागत:** मामला दूसरे क्षेत्र में जाने पर बार-बार यात्रा, मजदूरी का नुकसान और रहने का खर्च।
- **प्रक्रियागत बोझ:** एक ही अनुभव कई बार बताना, अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क और प्रगति की अस्पष्ट जानकारी।
- **सुरक्षा और गोपनीयता:** धमकी, सामाजिक दबाव तथा पहचान उजागर होने की आशंका।
- **सहायता:** कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग, अनुवाद और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं की कमी।

ये प्रशासनिक और सामाजिक बाधाएँ हैं। इन्हें दूर करने का अर्थ निष्पक्ष जाँच या आरोपी के विधिक अधिकार छोड़ना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण और पीड़ित के लिए सुलभ बनाना है।

सुधार की दिशा

समन्वित सेवा: नजदीकी थाने, जाँच करने वाले थाने और सहायता संस्थाओं के बीच संपर्क का स्पष्ट जिम्मेदार अधिकारी हो। स्थानांतरण के बाद पीड़ित को फिर शुरुआत न करनी पड़े।

कम अनावश्यक यात्रा: जहाँ कानून अनुमति देता है, बयान और अन्य प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षित तकनीकी माध्यम तथा स्थानीय सहायता का उपयोग हो। हर प्रक्रिया घर से हो सकती है, ऐसा सार्वभौम दावा नहीं किया जा सकता।

जवाबदेही: शिकायत दर्ज होने, स्थानांतरण और आगे की कार्रवाई की स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड मिले। पुलिस प्रशिक्षण में सम्मानपूर्ण संवाद और गोपनीयता को महत्त्व मिले।

परीक्षा के लिए महत्त्व

इस विषय में कानून की उपलब्धता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर महत्त्वपूर्ण है। उत्तर में केवल धारा का उल्लेख पर्याप्त नहीं; यात्रा-लागत, संस्थागत समन्वय, लैंगिक संवेदनशीलता और विधिक सहायता को जोड़ना चाहिए। अधिकार-क्षेत्र की सुविधा को पुलिस जाँच की समाप्ति या दोषसिद्धि का विकल्प न बताएं।

> न्याय-प्रक्रिया में अधिकार और जवाबदेही का संबंधित विषय: **हिरासत और गिरफ्तारी: वैध आधार तथा जवाबदेही**

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. ज़ीरो FIR न्याय तक पहुँच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, परंतु केवल शिकायत दर्ज करना पीड़ित-केंद्रित न्याय की गारंटी नहीं है। विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भूमिका में:
क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र से स्वतंत्र FIR की सुविधा और धारा173 का परिचय दें।

मुख्य भाग में:
शिकायत से जाँच तक की दूरी, खर्च, गोपनीयता, सुरक्षा और सहायता की चुनौतियाँ बताएं। ज़ीरोFIR तथा e-FIR में भेद रखें।

निष्कर्ष में:
निष्पक्ष जाँच के साथ समन्वित, सुलभ और सम्मानपूर्ण प्रक्रिया का सुझाव दें।

PCSMANTRA.COM

स्रोत

- 2 नवंबर: ज़ीरो FIR के बाद भी बनी प्रक्रियागत बाधाएँ
- गृह मंत्रालय: धारा173 और इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर संसदीय उत्तर
- India Code: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023